



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092025-266161
CG-DL-E-15092025-266161

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4047]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2025/भाद्र 24, 1947

No. 4047]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2025/BHADRA 24, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2025

का.आ. 4162(अ).—यतः, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5440(अ) दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के भीतर स्थित नए एनएच संख्या 307 (पुराना एनएच संख्या 72ए) का किमी 17.900 से किमी 38.600 (नया एनएच 307) गणेशपुर से आशारोरी तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम 2008 के नियम 3 (जिसे इसके बाद "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72ए (नया एनएच 307) के गणेशपुर-देहरादून खंड के चार या अधिक लेन के डिजाइन किलोमीटर 0+000 से किलोमीटर 19+785 (मौजूदा कि.मी. 17+900 से कि.मी. 38+600) तक के 98.925 कि.मी. (सारणी-2) की कुल लंबाई के उपयोग के लिए सारणी 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर सारणी 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क उद्धृत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों या किसी संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी - 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा मृदा संचालन उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन सात अथवा अधिक धुरी वाले	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्धृति और संग्रहीत शुल्क, ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सड़क की लंबाई (दूरी) हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजा में देय और संदेय होगी, अर्थात: -

सारणी 2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चेनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क देय है	वह दर जिस पर शुल्क देय है
उत्तरप्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले में गणेशपुर गांव के पास एनएच-72ए (नया एनएच-307) के किमी/सीएच. (-)0.610 पर [प्लाजा सहारनपुर- गणेशपुर खंड पर परियोजना शुरू होने से 610 मीटर पहले है]	98.925 [^]	चार या अधिक लेन के लिए उपर्युक्त सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^] उक्त नियमों के नियम 4 के उपनियम 10 के अनुसार लंबाई:-

गणना विधि	मान (किलोमीटर में)
10 x 12.858 (अर्थात्, संरचनाओं* की लंबाई का दस गुना) + 6.927 (अर्थात्, संरचना की लंबाई 12.858 को छोड़कर निवल सड़क की लंबाई)	135.507
राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड की कुल लंबाई का पांच गुना (अर्थात्, 5 x 19.785)	98.925

इन दोनों मानों में से कम मान अर्थात् 98.925 कि.मी., वह लम्बाई है जिसके लिए शुल्क देय है।

*संरचनाओं का विवरण:

सारणी 3			
चेनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी. में)
कि.मी. से	कि.मी. तक		
2.258	8.033	ऊंचा मार्ग सेतु	5.775
8.130	13.178	ऊंचा मार्ग सेतु	5.048
13.292	14.482	ऊंचा मार्ग सेतु	1.190
15.732	15.807	बड़ा पुल	0.075
15.950	16.320	सुरंग	0.370
18.440	18.640	एलिफेंट अंडरपास	0.200
19.040	19.240	एलिफेंट अंडरपास	0.200
कुल			12.858

2. गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350/-रूपए (मात्र तीन सौ पचास रूपए) और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के लिए अध्यधीन है।
3. राजमार्ग खंड पर एक से अधिक यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात:

सारणी 4		
संदेय धनराशि	एकतरफ़ा यात्रा की अधिकतम अनुमत संख्या	वैद्यमानता अवधि
एकतरफ़ा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, वहां पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा, बशर्ते ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
5. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।
6. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।
8. उपर्युक्त सारणी-1 में यथा उल्लिखित आधार वर्ष 2007-2008 के लिए प्रति कि.मी शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
9. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2039 करोड़ रुपये है। चूंकि, भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. सीओडीआईवी/13/2024-पीआईयू बागपत /ई- 253630]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2025

S.O. 4162(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 5440(E) dated the 28th December, 2021 issued under Section-11 of National Highways Authority of India Act, 1988, the Central Government has entrusted the stretch of new NH no. 307 (old NH no. 72A) from km. 17.900 to km. 38.600 (new NH 307) Ganeshpur to Asharori section situated within the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008

(hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table-1 for the total length of 98.925 **km. (Table-2)** on the type of vehicle specified in column (1) of Table -1 for the use of four lane or more lane of Ganeshpur-Dehradun Section from design kilometre 0+000 to kilometre 19+785 (existing km. 17+900 to km. 38+600) of National Highway number 72A (New NH 307) in the State of Uttar Pradesh & Uttarakhand and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely: -

Table I	
Type of vehicle	Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck Two Axles	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles seven or more axles	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km./CH. (-)0.610 of NH-72A(new NH-307) near Ganeshpur Village in Sharanpur District of State of Uttarpradesh [The plaza is at 610 m before start of the project at Saharanpur-Ganeshpur section]	98.925[^]	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

[^] Length as per Sub-rule 10 of Rule 4 of the said rules:-

Calculation Method	Value (in kilometers)
10 x 12.858 (i.e., ten times length of structures*) + 6.927 (i.e., net road length excluding length of structure of 12.858)	135.507
Five times the total length of the section of national highway (i.e., 5 x 19.785)	98.925

The lesser of these two values **i.e. 98.925 km.**, is the length for which the fee is payable.

*Details of structures:

Table 3			
Chainage		Type of Structure	Length (in km.)
From Km.	To Km.		
2.258	8.033	Elevated Viaduct	5.775
8.130	13.178	Elevated Viaduct	5.048
13.292	14.482	Elevated Viaduct	1.190
15.732	15.807	Major Bridge	0.075
15.950	16.320	Tunnel	0.370
18.440	18.640	Elephant Underpass	0.200
19.040	19.240	Elephant Underpass	0.200
Total			12.858

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 350.00 (Rupees Three Hundred Fifty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

8. Based on the base rate of fee per kilometre for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated capital cost of the project is **Rupees 2039 Crore**. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. CODIV/13/2024-PIU Baghpat /E- 253630]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.